




न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 346/2016 बदनवानी रामस्वरूप पुत्र कल्याण बनाम नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा
जाति गुर्जर निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

उप0-1. श्री गिराज सिंह गुर्जर, वकील अपीलान्त

2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	व.सं. अ.सं. अ.सं. अ.सं. अ.सं. अ.सं.
11.2.2017	<p>राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण हेतु यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्त स्वयं वकील अपीलान्त, पैरोकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण उपस्थित हैं। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्त ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 440/2016 में ग्राम गरडवास की आराजी ख0न0 38 रकबा 0.18 है0, ख0न0 120 रकबा 50 कुल किता दो कुल रकबा 0.68 है0 किस्म बारानी की भूमि में सम्वत् 2072 रबी में सरसों की फसल काश्त करना अंकित करते हुये अतिक्रमणी माना है एवं दिनांक 17.2.2016 को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्त द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि यद्यपि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नहीं करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनमर्त्त्य प्रस्तुत की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा मौके पर जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एवं यदि अपीलान्त का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 11.2.2017 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	
	<p> श्री सुरेश कुमार गुप्ता सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत</p> <p> श्री विद्या लाल बैरवा सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत</p> <p> (के सी बनी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	